



2026:AHC: 10898

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

रिट सी संख्या- 42772/2025

नेयाज अहमद

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 4 अन्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता	: ओम प्रकाश सिंह
प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता	: मुख्य स्थायी अधिवक्ता, रामेश्वर प्रसाद शुक्ला

न्यायालय संख्या-6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया

1- याचिकाकर्ता ने वर्तमान रिट याचिका अन्य बातों के साथ-साथ अपील "नेयाज बनाम गाँव सभा" में केस संख्या 1544 वर्ष 2022 (कंप्यूटरीकृत वाद संख्या डी202215060001544) में पारित आदेश दिनांक 13.06.2024, तथा ग्राम तुरकौली, तहसील सगड़ी, जनपद आजमगढ़ में स्थित भूमि के संबंध में उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 67 के अंतर्गत वाद संख्या 7966 वर्ष 2021 (कंप्यूटरीकृत वाद संख्या टी202115060707966) "रिपोर्ट बनाम नेयाज अहमद" में प्रत्यर्थी संख्या 3 अर्थात् तहसीलदार/सहायक कलेक्टर प्रथम श्रेणी, तहसील सगड़ी, जनपद आजमगढ़ द्वारा पारित आदेश दिनांक 26.03.2022 को रद्द करने की प्रार्थना के साथ दायर किया है। इसके अतिरिक्त, प्रत्यर्थी-प्राधिकारियों को पट्टा आवंटन से संबंधित अभिलेख पर विचार करने के बाद आगे आदेश पारित करने का निर्देश देने की प्रार्थना की गई है।

2- विभिन्न अन्य तर्कों के अलावा, याचिकाकर्ता के अधिवक्ता द्वारा एक तर्क यह दिया गया है कि उपरोक्त दोनों आदेश इस न्यायालय द्वारा ऋषिपाल सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य संबद्ध मामलों के साथ, जो 2023 (1) एडीजे पृष्ठ 154 पर प्रतिवेदित किया गया है, के निर्णय और आदेश दिनांक 02.12.2022 के प्रस्तर-74 में प्रतिपादित विधि के आलोक में रद्द किए जाने योग्य हैं। उपरोक्त आदेश का प्रस्तर-74 इस प्रकार है:-

"74. इस प्रकार, मेरी राय में, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा 67, 67-ए और 26 के

तहत कार्यवाहियों पर लागू की जाने वाली प्रक्रिया के रूप में निम्नलिखित दिशानिर्देश

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



अपनाए जाएं। इसका उद्देश्य प्रक्रिया में पारदर्शिता, अधिकारियों के दृष्टिकोण में न्यायसंगतता सुनिश्चित करना और लंबे समय से चले आ रहे कब्जे को हटाने और एक निर्दोष ग्रामीण को अनावश्यक रूप से परेशान करने के गुप्त और तिरछे उद्देश्यों के साथ की गई प्रत्येक शिकायत को विफल करना है:

(i) आर.सी. फॉर्म 19 पर की गई शिकायत के वाद में, इसे करने वाला अधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि इस निर्णय में की गई टिप्पणियों के आलोक में उचित सर्वेक्षण किया गया है; वह भूमि, जिसका कब्जा अवैध पाया गया है, सटीक माप में हो और भू-राजस्व सर्वेक्षण नियमावली, 1978 के अनुसार पैमाने पर तैयार किए गए सर्वेक्षण मानचित्र में भी दिखाई गई हो; उस आधार पर की गई गणना के विवरण के साथ सर्किल रेट के आधार पर क्षति का सटीक आकलन हो।

(ii) स्वतः संज्ञान कार्रवाई के मामले में, आर.सी. फॉर्म 20 जारी करने से पहले, प्राधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि नियम 67 के उप-नियम 1 के मापदंडों पर उपरोक्त प्रस्तर (i) के अनुसार आर.सी. फॉर्म 19 पर उचित रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है।

(iii) आर.सी. फॉर्म 20 के साथ आर.सी. फॉर्म 19 के साथ प्रस्तुत रिपोर्ट और स्थल सर्वेक्षण की एक प्रति उस व्यक्ति को दी जानी चाहिए जिसके विरुद्ध कार्यवाही शुरू की गई है।

(iv) नोटिस का उत्तर दाखिल होने पर, यदि प्राधिकारी पाता है कि स्थल सर्वेक्षण/स्पष्टीकरण रिपोर्ट संतोषजनक नहीं है, तो वह व्यथित पक्ष की उपस्थिति में एक नई स्थल रिपोर्ट तैयार करने का आदेश दे सकता है।

(v) यदि आपति में धारा 67-ए के तहत वैधानिक संरक्षण/लाभ का तर्क शामिल है, तो प्राधिकारी को गाँव सभा से आपति आमंत्रित करनी चाहिए, और धारा 67 के वाद के साथ ही उसका निर्णय करना चाहिए, जिसके लिए व्यथित पक्ष को धारा 67-ए के अंतर्गत अलग से आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होगी।

(vi) यदि रिपोर्ट को अभिलेख पर स्वीकार कर लिया जाता है, तो प्राधिकारी को अपने बयान द्वारा रिपोर्ट को साबित करने के लिए रिपोर्ट तैयार करने वाले व्यक्ति की उपस्थिति सुनिश्चित करनी चाहिए, जिसमें व्यथित पक्ष को उससे जिरह करने का अधिकार होगा।



(vii) प्राधिकारी को संबंधित अधिनियम और नियमों के तहत प्रदान की गई समय-सीमा के भीतर प्रकरण का निर्णय करने का प्रयास करना चाहिए और नियमित तरीके से पक्षकारों को स्थगन देने से बचना चाहिए।

viii) उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 67(5) के अंतर्गत अपील के मामले में, जो अंतरिम अनुतोष आवेदन के साथ निर्धारित समय के भीतर अधिमाम्य/दाखिल की गई हो, अंतरिम अनुतोष आवेदन का निर्णय यथासंभव दूसरे पक्ष को पूर्व नोटिस के साथ दो सप्ताह के भीतर किया जाना चाहिए। जहाँ सहायक कलेक्टर-प्रथम श्रेणी के समक्ष धारा 67-ए के अंतर्गत समझौते/निस्तारण का तर्क दिया गया हो, और कुल हर्जाने का कम से कम 25% भुगतान कर दिया गया हो तथा संबंधित भूमि पर आगे कोई निर्माण न करने के लिए वचनबद्धता का शपथ-पत्र दाखिल किया गया हो, तो नागरिक प्रशासन सहित अधिकारियों को अंतरिम राहत आवेदन के निस्तारण तक उस आदेश के अनुपालन में कोई प्रपीड़क कार्रवाई करने से बचना चाहिए, जिसके विरुद्ध अपील की गई है। यदि अपीलकर्ता द्वारा उपरोक्त शर्तें पूरी की जाती हैं, तो अपीलीय प्राधिकारी अपील और स्थगन आवेदन दाखिल करने के पहले ही दिन अंतरिम अनुतोष देने पर विचार कर सकता है।

(ix) अपीलीय प्राधिकारी को यथासंभव अपील के प्रस्तुतीकरण के दो महीने की अवधि के भीतर उसका निर्णय करना चाहिए।"

3- प्रत्यर्थियों के विद्वान अधिवक्ता द्वारा भी इस तथ्य को स्वीकार किया गया है।

4- पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना गया और अभिलेख का परिशीलन किया गया।

5- अभिलेख के परिशीलन से यह प्रतीत होता है कि उपरोक्त आदेश इस न्यायालय द्वारा **ऋषिपाल सिंह (उपरोक्त)** के वाद के प्रस्तर-74 में प्रतिपादित विधि के विरुद्ध पारित किए गए थे।

6- मामले के इस दृष्टिकोण को देखते हुए, अपील "नेयाज़ बनाम गाँव सभा" में वाद संख्या 1544 वर्ष 2022 (कंप्यूटरीकृत वाद संख्या डी202215060001544) में पारित आदेश दिनांक 13.06.2024, तथा ग्राम तुरकौली, तहसील सगड़ी, जनपद आजमगढ़ में स्थित भूमि के संबंध में उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 67 के तहत वाद संख्या 7966 वर्ष 2021 (कंप्यूटरीकृत वाद संख्या टी202115060707966) "रिपोर्ट बनाम नेयाज़ अहमद" में प्रत्यर्थी संख्या 3 अर्थात् तहसीलदार/

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



सहायक कलेक्टर प्रथम श्रेणी, तहसील सगड़ी, जनपद आजमगढ़ द्वारा पारित आदेश दिनांक 26.03.2022 रद्द (अपास्त) किए जाने योग्य हैं और एतद्वारा रद्द किए जाते हैं।

7- प्रत्यर्थी संख्या 3 को निर्देशित किया जाता है कि वह **ऋषिपाल सिंह (उपरोक्त)** के वाद में दिनांक 02.12.2022 के निर्णय और आदेश के प्रस्तर-74 में इस न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणियों के आलोक में एक नया आदेश पारित करें।

8- उपरोक्त टिप्पणियों के साथ, रिट याचिका स्वीकार की जाती है।

(न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया)

16 जनवरी, 2026

स्वाति